न्यायालय बईजलास ज्ञानमल खटीक आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी)
बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज॰)

दावा संख्या :: 10/2012

उँकार पिता होकमा जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. नारायण पिता होकमा जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2. बजेराम पिता सेवा जाति धाकड मृत के विधिक उत्तराधिकारी निम्न है:–
   2/1– सीताबाई पिता बजेराम धाकड निवासी ठुकराई
   2/2– प्रेमबाई पिता बजेराम धाकड निवासी ठुकराई
   2/3– चन्द्रीबाई पिता बजेराम धाकड निवासी ठुकराई
3. बरदा पिता रूपा जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
4. मोतीलाल पिता रूपा जाति धाकड मृत के विधिक उत्तराधिकारी निम्न है:–
   4/1–देवीलाल पिता मोतीलाल जी धाकड निवासी ठुकराई
   4/2– मोहनलाल पिता मोतीलाल जी धाकड निवासी ठुकराई
   4/3– लाभचंद्र पिता मोतीलाल धाकड निवासी ठुकराई
   4/4– केलीबाई पिता मोतीलाल धाकड निवासी ठुकराई
5. शांतिबाई पिता रूपा जी धाकड हा0मु0 पति नानालाल निवासी महुपुरा मोलकी (झातला) तहसील सिंगोली जिला नीमच (म0प्र0)
6. खेमा पिता नारायण धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
7. उदा पिता नारायण धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
8. डालू पिता नारायण धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
9. हीरा पिता नारायण धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
10. शंभुलाल पिता नारायण धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
11. गोरीबाई पिता नारायण जाति धाकड हा0मु0पति चुन्नीलाल धाकउ निवासी कातर नयागांव तहसील सिंगोली जिला नीमच (मु0प्र0)
12. झमकुबाई पति नारायण धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
13. गुलाबीबाई पति रूपा जी धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
14. बदामबाई पति तुलसीराम जी धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
15. एजनबाई पति बालुलाल जी धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
16. शारदा बाई पति सुनिलकुमार धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
17. मोडीबाई पति सुरेश चन्द्र जी धाकड निवासी ठुकरार्ठ तह0 बेगूँ
18. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय जी जरिये बून्दी चितौडगढ क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक ठुकराई शाखा ठुकराई
19. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
20. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय,चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सी0पी0शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री देवेन्द्रसिंह
श्री प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक ::– 29.12.2016

संशोधित निर्णय वाद पत्र अ0धा0 53 आर0टी0एक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदार स्वामित्व की कृषि आराजीयात ग्राम ठुकराई प0ह0 ठुकराई में स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार है :–

(अ) खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
316(285)	705	0.9230
	836	0.5830
	913	1.0760
	1736	0.7860
	1805	0.1050
	1857	0.4530
	1860	0.1130
	1863	0.2670
	2017	0.0320
	2049	0.0570
	2091	0.3320
	2230	0.0970
	कीता–12	4.8240हैक्टर

(ब) खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
318(286)	907	0.9950
	1855	0.0720
	2048	0.0570
	2050	0.0650
	2082	0.0320
	3491/2352	0.2430
	कीता–6	1.4640हैक्टर

(स) खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
540(505)	2013	0.0570
	2014	0.0560
	2015	0.0570
	2016	0.0240
	कीता– 4	0.1940हैक्टर

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से लगाकर तेरह आपस में सगे भाई बन्ध एवं एक ही परिवार के सदस्य है वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमि पुश्तैनी आराजीयात है तथा उक्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति के आधार पर मौके पर अलग अलग बुवाई कर रहे है ।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या एक के "अ" में अंकित खाता संख्या 316(285) है में अंकित आराजीयात में आराजी संख्या 705, 1736, 1805, 1857, 1860, 2017, 2049, 2091, 2230 में वादी का 1/2 हिस्सा एवं आराजी संख्या 705, 836, 913, 1736, 1805, 1857, 1860, 1863, 2017, 2049, 2091, 2230 में प्रतिवादी संख्या एक नारायण पिता होक्मा का 1/2 हिस्सा निहित है तथा आराजी संख्या 836 में प्रतिवादी संख्या 17 का 1/2 हिस्सा एवं आराजी संख्या 913 में प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16 का 1/2 हिस्सा तथा आराजी संख्या 1863 में प्रतिवादी संख्या 13 का 1/2 हिस्सा निहित है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या एक के "ब" में अंकित आराजी जिसके खाता संख्या 318 (286) हैं में अंकित आराजी संख्या 1855, 2048, 2050, 2082, में वादी का 1/4 हिस्सा एवं आराजी संख्या 907, 2491/2352 में प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा आराजी संख्या 1855, 2040, 2050, 2082 में प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/3 का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या एक का आराजी संख्या 1855, 2048, 2050, 2082 में 1/4 हिस्सा एवं आराजी संख्या 907, 2491/2352 में 1/2 हिस्सा निहित है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या एक के "स" में अंकित आराजी जिसके खाता संख्या 540 (505) है में अंकित आराजी संख्या 2013, 2014, 2015, 2016 में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 एक का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 12 तक का 1/4 हिस्सा निहित है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का भूमि पर आपसी रजामंदी से मौके पर तो अलग–अलग कब्जा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादपत्र में अंकित उक्त समस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व में चली आ रही है। इस कारण से प्रत्येक खातेदार को भूमि पर ऋण लेने में दिक्कत आती है भूमि का लगान अदा करने में भी एवं भूमि का अपनी इच्छानुसार विकास कराने में भी सहखातेदारान में हमेशा विवाद होता रहता है। इस कारण वादी ने सभी खातेदारान प्रतिवादीगण को दिनांक 2/1/2012 को तहसील में चलकर भूमि का राजस्व रेकार्ड में विभाजन कराने हेतु कहा इस पर सभी खातेदारों ने अपनी सहमति नहीं दी तथा भूमि का विभाजन करने में आनाकानी की तथा भौतिक रूप से विभाजन किये जाने के लिए भी इन्कार किया है इस कारण वादी को अपने हिस्से का विभाजन कराने के लिए यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनांक 2/1/2012 को वादी ने सभी खातेदारान प्रतिवादीगण से अपनी सहमति से तहसील में चलकर राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अनुसार विभाजन करा वादी का हिस्सा पृथक रूप से दर्ज कराये जाने बाबत कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 18 श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय जी जरिये बून्दी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 19 व 20 वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं।

वादी द्वारा द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया :–

मौजा ठुकराई प0ह0 ठुकराई तहसील बेगूँ की उक्त वादपत्र की कलम संख्या 1 के के "अ" में अंकित आराजी संख्या 705, 1736, 1805, 1857, 1860, 2017, 2049, 2091, 2230 जो संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउंड्स के आधार पर वादी का 1/2 हिस्सा एवं वादपत्र की कलम संख्या 1 के "ब" में अंकित आराजी संख्या 1855, 2048, 2050, 2082 में वादी का 1/4 हिस्सा तथा वादपत्र की कलम संख्या 1 के "स" में अंकित आराजी संख्या 2013, 2014, 2015, 2016 में वादी का 1/4 हिस्सा विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान करायी जावे।

दावा न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह एवं श्री प्रकाश शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करने हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया। पत्रावली में साक्ष्य आदि ली जाकर न्यायालय द्वारा वादी के वादपत्र को दिनांक 08.07.2013 को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

"अतः वाद वादी का अ0धा0 53 आर0टी0 एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा मौजा ठुकराई प0ह0 ठुकराई की वादपत्र की कलम संख्या 1 के "अ" में अंकित आराजी संख्या 705, 836, 913, 1736, 1805, 1857, 1860, 1863, 2017, 2049, 2091, 2230 वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का मीट्स एंड बाउंड्स एवं कब्जे के आधार पर वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा इसी प्रकार वादपत्र की कलम संख्या एक के "ब" में अंकित आराजी संख्या 907, 989, 1855, 2048, 2050, 2082, 2491/2352 में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या एक का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का आराजी संख्या 989 को छोड़कर 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का आराजी संख्या 989 में 1/2 हिस्सा तथा वाद पत्र की चरण संख्या एक के "स" में अंकित आराजी संख्या 2013, 2014, 2015, 2016 में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 से लेकर 12 का 1/2 हिस्सा विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 500/– रुपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की पालना तहसीलदार बेगूँ को पत्र लिखा जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में तलब किया जावे।"

इस आदेश की पालना में तहसीलदार बेगूँ को फर्द बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया, जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त ठुकराई द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.12.2013 से अवगत कराया कि वर्णित आराजी में से कुछ आराजी का प्राथमिक डिक्री होने से पहले ही विक्रय हो चुका है तथा क्रेतागण के नाम से नामांतरकरण भी खुल चुका है। साथ ही प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की मृत्यु होने से बंटवारा किये जाने में मार्गदर्शन फरमावें। उक्त रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादी की सुनी जाकर एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 तथा प्रार्थना पत्र आदेश 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई की जाकर न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया :–

"अतः वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 22 रूल 4 सी.पी.सी. एवं ऑर्डर 1 रूल 10 (2) सी.पी.सी. एवं ऑर्डर 6 रूल 17 जा.दी. का 1000/– रूपये कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी सं0 2 एवं प्रतिवादी सं0 4 के वारिसान को एवं प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 में अंकित क्रेतागण सभी को प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री मे सभी पक्षकारान के हक हिस्से अनुसार संशोधन कर पुनः प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली में संशोधित अनवान व वाद पत्र वादी प्रस्तुत करें।"

उक्त आदेश की पालना में वादी द्वारा संशोधित वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर सुनवाई की जाकर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा ठुकराई प.ह. ठुकराई के खाता संख्या 316 (285) की आराजी संख्या 705, 836, 913, 1736, 1805, 1857, 1860, 1863, 2017, 2049, 2091, 2230 कुल किता 12 कुल रकबा 4.8240 है0 भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 तथा खाता संख्या 318 (286) की आराजी संख्या 1855, 2048, 2050, 2082 भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 540 (505) की आराजी संख्या 2013, 2014, 2015, 2016 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1940 है0 भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 रखते हुए शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदीनुसार रखते हुए आराजी का मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ 1000/– रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। बंटवारा हेतु प्राथमिक डिक्री तहसीलदार बेगूँ को भेजी जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के दो प्रति में प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा जावे।

संशोधित निर्णय आज दिनांक 29.12.2016 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

29/12/16

(ज्ञानमल खटीक)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ